MR. CHAIRMAN: At this stage we are on a particular Bill. After this Bill is disposed of we can consider other Bills. I shall put all the clauses to the vote of the House. The question is:

"That Clauses 2 to 30 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 30 were added to the Bill.

The First Scheduled, the Second Schedule and the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Regarding Mr. Prakash Vir Shastri's suggestion, since there are some members who are opposed to it, it cannot be done. Now we will take up the Bihar Bill.

15.46 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR

BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुछेच्द 356 के अधीन 4 जुलाई, 1969 को जारी गी गई उद्घोषणा का अनुमोदन करनी है ।

इस के बाद एक दूसरा प्रस्ताव है विधेयक के बारे में वह भी मैं रखे देता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य के विधांन मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय जिन परिस्थितियों में इस राष्ट्रपति की उद्घोषणा को करना पड़ा और मध्यावधि चुनव के बाद जो बिहार में स्थिति पैदा हुई उस के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को पूर्ण रूप से ज्ञान है । तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों को आशाएं थीं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के बाद राजनैतिक स्थिरता आएगी और वहां लोकप्रिय सरकार स्थायी रूप से अगले आम चुनाव तक चल सकेगी वह हमारी आशाएं पूरी नहीं हो सकीं । वह कौन-कौन से कारण हैं जिन से वह आशाएं पूरी नहीं हो सकी उस में मैं नहीं जाना चाहता । एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम लोगों की जो आशा थी कि दलबदलुओं का युग मध्यावधि चुनाव के साथ साथ समाप्त हो जायगा वह आशा भी पूरी नहीं हुई और इस के कारण बहुत कुछ कठिनाइयां हमारे सामने बिहार राज्य में आईं । आप जानते हैं मध्यावधि चुनाव के बाद वहां पर एक मिलीजुली सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बनी । वह कुछ महीने वहां चली उस के बाद कुछ लोगों ने अपना समर्थन उस सरकार से हटा लिया और उस के पश्चात् वहां पर एक दूसरी सरकार बनी । वह केवल 8–9 दिन ही चल पाई । इस के कारण ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा । यह बड़े दुख की बात है कि चतुर्थ आम चुनाव के बाद बिहार राज्य में 6 मंत्रि-मंडल बने और 6 ध्वंस हुए । इस से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि फिर से पिछले चुनाव के बाद दोबारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अब दोबारा जब बिहार में कोई लोकप्रिय सरकार बने तो वह

ऐसी सरकार बननी चाहिए जो स्थायी रूप से बिहार का काम कर सके और पिछले कई सालों से जो बिहार के योजनाबद्ध विकास की गति धीमी पड़ गई है, जनोपयोगी कामों में जो कठिनाइयां आई हैं जो करीब करीब बन्द से हो रहे हैं, उन सब कठिनाइयों को दूर कर के जो भी सरकार बने वह स्थायी रूप से काम कर सके और फिर से इस तरह राष्ट्रपति का शासन लागू करने का अवसर न आ सके। जब हम लोगों के मन में और राष्ट्रपति के मन में ऐसा विश्वास हो जाय कि ऐसी सरकार बनने की संभावना उत्पन्न हो गई है तभी वहां ऐसी सरकार बने इस के संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की भी सहमति होगी और मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की गई है उस का अनुमोदन सदन के सभी माननीय सदस्य करेंगे।

जहां तक बिल का संबंध है इस बिल में इस बात का प्राविधान किया गया है कि जब वहां का विधान मंडल निरस्त रूप में है उस वक्त म जो भी कानून वहां पर बनते हैं उस का अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया जाय। वैसे नो संविधान में इस की आवश्यकता नहीं है कि कोई सलाहकार समिति रहे पर सुविधा के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का नियम बना लिया है कि जब भी कोई ऐसा अधिकार उन को दिया जाता है नो एक सलाहकार मंडल की नियुक्त कर दी जानी है जिस में दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं और वह राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं समय समय पर कि किस प्रकार का कानून बनना चाहिए। इस के अलावा हम लोगों ने एक और नियम चालू कर दिया है जिस से कि माननीय सदस्यों को इस बात का भी मौका मिलता है कि बिहार राज्य के संबंध में और भी जो बातें हैं उस के वारे में भी वे गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होनी हैं जिस के बारे में हम लोग यहां पर संसद में सोच विचार नहीं कर सकते यद्यपि संसद का यह कार्य होता है कि वह बिहार राज्य की विधान सभा के रूप में कार्य करे और जितना समय बिहार राज्य के लिए बिहार विधान सभा देती है। अपेक्षा यह की जानी है कि उतना ही समय संसद भी उस के लिए दे। पर आप देखते हैं कि कितनी समय की कमी रहनी है और उस के कारण हमारे पास कोई ऐसा जरिया है जिस के द्वारा हम इस बात को कर सकें कि माननीय सदस्य अपनी सब बातें खुले रूप से विस्तारपूर्वक केन्द्र के सामने रख सकें और गृह मंत्री जी उस के ऊपर विचार कर के अपने खुद के विचार व्यक्त कर सकें। इसलिए हम ने एक नियम शुरू कर दिया है सलाहकार समिति में कि वहां पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें और उस का जितने विस्तृत रूप से जवाब हम दे सकते हैं वह जवाब देने की कोशिश हम करते हैं और इसीलिये यह सलाहकार समिति हम बना रहे हैं जिस में 60 संसद सदस्य रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह सलाहकार समिति भी उतनी ही अच्छी तरह से कार्य करेगी जैसे कि पिछली मर्तबा किया था। इतना कह कर मैं अपने ये दोनों प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करेगा।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"That this House approves the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."

Motion moved:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make

laws, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration".

रेजोल्यूशन और विधेयक दोनों पर बहस एक साथ चलेगी, समय बहुत थोड़ा है इसलिए जो लोग बोलें वह बहुत थोड़ा समय लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : तीन घंटे का समय है।

सभापति महोदय : नहीं तीन घंटे नहीं हैं। ..... (व्यवधान) .... बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक पर ज्यादा वक्त लग गया है उस की वजह से तीन की जगह अब दो ही घंटे समय रह गया है।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Bihar): Sir, I want a clarification. What happens to item No. 24 about floods? Will it be taken up or not?

MR. CHAIRMAN: As there is a blackout, the House cannot sit beyond 6 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: That is at 7.30 p.m

MR. CHAIRMAN: But people have to reach their destination before that. It is up to the House. The House will not sit beyond 6 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We can sit up to 7.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : फ्लड का मोशन ज्यादा ज़रूरी है, बिहार के किसान मर गये हैं, फसलें तबाह हो गई हैं।

MR. CHAIRMAN: No; we are not going to sit beyond 6.

श्री रणधीर सिंह : क्या किसान ज़रूरी नहीं हैं। सारा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, बरबाद हो गये हैं। . .

MR CHAIRMAN: If you want to discuss the flood situation, you have to cut down the discussion on Bihar.. (*Interruption*).

श्री रणधीर सिंह : आप इस को एक घन्टा कर दीजिये, लेकिन उस को जरूर लेना है।

श्री बि० प्र० मण्डल (माधोपुर): नहीं, इस पर दो घन्टा बहस होनी चाहिये।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: The Speaker announced that the discussion on floods will be on the 30th.. (*Interruption*).

सभापति महोदय : 15 मिनट तो इसी तरह निकल गये। मेहरबानी कर के बैठ जाइये।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Let me make a submission. Let us all agree that floods are as important as the Proclamation.... (*interruption*).

श्री रणधीर सिंह : इस तरह से कैसे होगा। कम से कम एक घन्टा तो फ्लड के लिये देना ही चाहिये। बिहार में लोग मर रहे हैं, मवेशियों के लिये चारा नहीं मिल रहा है, जमीनें बरबाद हो गई हैं, फसल बरबाद हो गई है। ये लोग बिहार की बात कर रहे हैं, जब कि यह इतना लाजमी नहीं है, आप इन को सिर्फ एक घन्टा दीजिये।

MR. CHAIRMAN: We are giving one hour to Bihar and the rest for the discussion on floods.

SHRI RANDHIR SINGH: Thank you very much.... (*Interruption*).

SHRI S. KANDAPPAN: Let those, who are not participating in the debate on the Proclamation, be given an opportunity to speak on the flood situation.

MR. CHAIRMAN: All right (*Interruption*).

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, मेरी आप से एक अर्ज है—जो आदमी अभी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पर बोले हैं, उन को मौका न दीजिये, दूसरों को मौका दीजिये। जो बिहार पर बोलें उन को

फ्लड पर मौका न दीजिये

(व्यवधान) . . .

सभापति महोदय : आप इस तरह से समय बरबाद कर रहे हैं, इतने समय में तो मैं पांच-सात आदमियों को बुलवा लेता । अब आप बैठ जाइये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : सभापति जी यह बड़े दुख की बात है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन है, इस के लिये चाहे सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, किसी के लिये भी यह खुशी की बात नहीं हो सकती । सभापति जी, हम चाहते हैं, कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो कर पॉपुलर रूल आये । लेकिन जिस तरीके से पहला मंत्री मंडल बनाया गया, हम नहीं चाहते कि उसी तरीके से फिर वहां पर सरकार बने । आपको मालूम है, आप स्वयं बिहार के रहने वाले हैं कि किस तरीके से वहां पर सरकार बनाई गई, हालांकि कुछ पार्टियों ने मिल कर एक प्रोग्राम निश्चित किया और यह भी तय हुआ कि उस प्रोग्राम पर कार्यवाही होगी, यह भी तय हुआ कि जो पार्टी उस में शामिल होंगी, उन की संख्या चाहे जो हो, लेकिन उन के आधे से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे, जो भी मिनिस्टर बनेंगे वे सब मिल कर सब बातों को तय करेंगे, लेकिन दुख की बात है कि जिस पार्टी के चार मेम्बर थे, वे चारों के चारों मिनिस्टर हो गये, जिसके 6 थ, वे 6 के 6 मिनिस्टर हो गये । कांग्रेस ने जिसके खिलाफ़ ब्लैक मार्किटिंग का मामला चल रहा था, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, उस को भी मिनिस्टर बना लिया और अब भी उन्हीं लोगों को आफर दी जा रही है, सौदेबाज़ी कर के वहां पर पौपुलर रूल को लाना चाहते हैं । सभापति जी, हम चाहते हैं कि जो पौपुलर रूल वहां पर हो, एक प्रोग्राम के आधार पर हो, एक नीति के आधार पर हो तथा स्थायी हो । मेरी पार्टी चाहती है कि वहां पर पौपुलर रूल हो, लेकिन जब इस में हार्स-ट्रेडिंग होने लगे, जब खुले आम एम०एल०एज़० की बिक्री होने लगे कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिये, तब हमारी पार्टी ने सोचा कि इस बिक्री को खत्म करना चाहिये और इस को समाप्त करने के लिये हम ने अपनी पार्टी की सपोर्ट विदड्रौ कर ली ।

16 hrs.

सभापति जी, जो भी पौपुलर रूल वहां पर हो, उस के लिये सब से ज्यादा जिम्मेदारी या तो कांग्रेस पार्टी की है या जो विरोधी दलों में सब से बड़ी पार्टी है—संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—उस की है । इन दोनों को चाहिये कि वे इस के लिये प्रयत्न करें । लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि जिनके चार सदस्य हैं, उन्हीं को फिर जोड़-तोड़ कर मिनिस्टर बना दें, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी, न बिहार के लिये होगी और न सारे देश के लिये होगी । जिन में दो-दो, चार-चार या छ:-छ: लोग हैं, जब इस तरह से हालत फंस जाती है तो उन्हीं के आधार पर मिनिस्ट्री बनती है, लेकिन इस तरह की मिनिस्ट्री ज्यादा देर तक नहीं रह सकती । इस लिये सरकार को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिसमें जो आल इण्डिया पार्टीज़ हैं, वे बैठ कर किसी प्रोग्राम के आधार पर मंत्री मंडल बनायें, अगर उन के आधार पर मंत्री मंडल नहीं बनेगा, तो उस का कोई लाभ नहीं होगा ।

इस समय इन्होंने जिस आदमी को गवर्नर बना रखा है, वह बिलकुल बेकार आदमी है । उस से चला नहीं जाता, दवाइयों के बगैर रह नहीं सकता । आज बिहार में जो फ्लड आया है, वह शायद अन-प्रेसिडेन्टेड है, एक-तिहाई बिहार पानी में डूबा हुआ है । यहां तक कि जिस सड़क को हम नेशनल हाइवे कहते हैं, जो असम के साथ मिलती है, उस हाइवे पर तीन-चार चार फुट पानी है । लाखों आदमी बेघर हो गये हैं, 6–7 हज़ार

[श्री कंवर लाल गुप्त]

गांव पानी में डूबे पड़े हैं, पानी से घिरे पड़े हैं लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, लाखों मवेशी बह गये हैं, करोड़ों रुपये की फसल खराब हो गई है . . .

सभापत महोदय : यह विषय बाढ़ में आयेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नर या उन के एडवाइजर उस स्थिति को देखने गये, हवाई जहाज़ से भी देखने के लिये नहीं गये यहां तक कि उन्होंने कोई रिलीफ़ कमेटी भी नहीं बनाई है । हमेशा जब बाढ़ें आती थीं तो सब पार्टियों की मिल कर एक रिलीफ़ कमेटी सरकार बनाती थी, लेकिन वहां पर अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है । सरकार इस राष्ट्रपति राज में सोई पड़ी है । मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वे स्वयं जा कर स्थिति का अध्ययन करें । बिहार का इतना बुरा हाल है जब भूचाल आया था, तब भी इतना बुरा हाल नहीं था । मैं चाहूंगा कि उस गवर्नर को बदलना चाहिये, उन्होंने स्वयं लिखा भी है कि वे जाना चाहते हैं, जब उन का शरीर काम नहीं देता तो उन्हें वहां पर बैठाये रखने से क्या लाभ है । वहां पर एक्टिव आदमी होना चाहिये, इस तरह का आदमी नहीं होना चाहिये, जो चल-फिर न सकता हो ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, लेकिन असेम्बली तोड़ी नहीं है । आप वहां पर गवर्नर के साथ कन्सलटेटिव कमेटी बनाइये, जो वहां की तमाम पार्टियों के एम०एल०एज़० को लेकर बनाई जाय तथा हर डिपार्टमेंट के साथ जो अपने एडवाइज़र्स बनाये हैं, उन के साथ एम०एल०एज़० को भी एटेच कीजिये ताकि जितना भी पौपुलर-टच उस में आ सके लाने की कोशिश करनी चाहिये, अभी भी वहां पर एम०एल०एज़० जिन्दा हैं, मरे नहीं हैं, उन का सहयोग लेना चाहिये और खास तौर पर इस तरह की कैलेमिटीज़ में तो ज्यादा लेना चाहिये । अगर इस में जल्द कार्यवाही नहीं की जायगी, तो बिहार का ऐसा हाल हो जायगा, जिसको बाद में सम्भाला नहीं जा सकेगा । वहां पर अभी तक कोई रिलीफ़ मेज़र्स नहीं लिये गये हैं, तकावी लोन्ज़ और दूसरे टैक्सेज़ का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि इन की माफ़ी का ऐलान फौरन कर दें । जिनके गांव उजड़ गये हैं, उन की ज्यादा मदद करें, जिनके मकान गिर गये हैं, उन को लोन दें--एक व्यापक स्कीम उन के रिहैबिलिटेशन एण्ड रिलीफ की सरकार को बनानी चाहिये ।

सभापति महोदय, एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्रपति राज के अन्दर वहां पर जो भी पौपुलर टच था, उस को खत्म कर दिया गया है । वहां पर कुछ स्टेचूटरी बोर्डस् थे, जिन के चेयरमैन जनता के प्रतिनिधि थे, उन को हटा कर, सब जगहों पर अफसरों को लगा दिया गया है । नतीजा यह है कि खेतिहर किसानों को तकावी का लोन और ट्रैक्टर का लोन जो मिलता था, वह बन्द हो गया है । ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पूरा बिहार जा रहा है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको कहिये कि जो स्टेट्यूटरी बोर्ड के चेयरमैन थे या जैसे कि इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन के नान-आफिशियल चेयरमैन थे, उनको न हटाया जाये बल्कि उनको रखा जाये और उनके साथ साथ और भी एम० एल० एज़० हैं, सभी पार्टीज़ के उनका सहयोग लिया जाये ।

आखिरी सजेशन देकर समाप्त कर रहा हूं कि उत्तरी बिहार में नक्सलाइट्स की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही हैं लेकिन पुलिस डिमारलाइज़ हो रही है, वह उनसे डरती है इसलिये मैं चाहता हूं कि वे पुलिस को

ताकीद करें कि इस तरह की जो एन्टी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सख्ती के साथ समाप्त किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि बिहार में जल्दी से जल्दी पौपुलर और स्थायी शासन स्थापित किया जाये।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन जारी किया गया है उसका मैं विरोधी हूं। विरोधी इसलिये हूं कि राष्ट्रपति शासन में जनतांत्रिक पद्धति का खात्मा हो जाता है। कहीं पर जब जनप्रिय सरकार रहती है तो उसमें जनता की अधिक सुनवाई होती है। अभी मैं ने श्री कंवरलाल गुप्त का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने बताया है कि वहां पर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की ज्यादा जवाबदेही है क्योंकि उसका वहां पर बहुमत है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने राज्यपाल को 165 नाम दिये। लेकिन राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पढ़ कर मुझे बहुत खेद हुआ। इससे भी ज्यादा खेद की बात यह है कि बिहार राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति उनकी भावना क्या है। उन्होंने उसमें बताया है कि 50 ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे अनप्रिडिक्टबिल हैं। वैसे तो आजकल हर कोई अनप्रिडिक्टबिल है। लेकिन इस प्रकार से बिहार राज्य में काम करने वाले लोगों के प्रति एक सन्देह की भावना उत्पन्न कर देना, मैं समझता हूं किसी तरह उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता कि बिहार राज्य में शीघ्र से शीघ्र जनतांत्रिक शासन की स्थापना की जाये। अगर वहां पर आप जनतांत्रिक शासन की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर वहां पर कोई भी तरक्की का काम नहीं हो सकेगा, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकेगा और ला एन्ड आर्डर को भी कन्ट्रोल नहीं किया जा सकेगा। आज वहां पर बाढ़ की विभीषिका से एक करोड़ से अधिक लोग तबाह हो रहे हैं। उनके र बर्बाद हो गये हैं। और जैसा कि गुप्त जी ने कहा, उनके लिए किसी प्रकार की रिलीफ़ का प्रबन्ध नहीं हुआ है। राज्यपाल के सलाहकारों ने भ्रमण नहीं किया है। हर इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता जोकि उसमें काम करके अपना सहयोग और सहायता देना चाहते थे, उनका भी कोई सहयोग नहीं लिया गया है। एक प्रकार से वहां पर डेडलाक सा कायम हो गया है, ब्रेक लगा हुआ है। . . . (**व्यवधान**) दो मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : तीन चार मिनट से अधिक मैं किसी को नहीं दूंगा।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर कोई भी तरक्की नहीं हुई है। यदि आप चाहते हैं कि बिहार की भी तरक्की हो तो सबसे पहले इस समय पर जो बाढ़ की विभीषिका है उससे लोगों को राहत पहुंचाइये और शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन को भंग करके पौपुलर गवर्नमेन्ट की स्थापना कीजिए। पापुलर गर्वनमेन्ट बनाने के लिए कांग्रेस सक्षम है वह वहां स्टेबिल गर्वनमेन्ट बना सकती है। राज्यपाल की रिपोर्ट का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि कहा गया उनका स्वास्थ्य शिथिल है लेकिन उनका मन भी शिथिल है उनको कोई जानकारी वहां की नहीं है उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं है इसलिए वह रिपोर्ट भी वैसी ही है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है।

आप जानते हैं कि स्पीकर्स कान्फेन्स में यह निश्चित हो चुका है कि यह जानने के लिए कि किस पार्टी का बहुमत है, एक ही जरिया है और वह जरिया है लेजिस्लेचर। किसी भी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मन से किसी भी पौपुलर गवर्नमेन्ट को समाप्त कर दे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको भी इसकी जानकारी है कि पिछले समय में जब बिहार में राष्ट्रपति

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

शासन कायम हुआ था तो वह बिल्कुल पुलिस राज्य था । उसमें आम जनता की बातों को कोई भी ख्याल नहीं किया जाता । उसमें आपको पता है कि रांची में किस तरह से पुलिस ने आदिवासियों पर गोली चलाई और छपरे में किस तरह से संगीनें भोंक कर लोगों के प्राण लिये गए । इस प्रकार की अनेकों घटनायें घटीं थीं । और आज भी उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन चल रहा है । मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा । आपने सुना होगा सोनपुर का एक बहुत बड़ा हरिहर नाथ मंदिर है । वहां के महन्त को अनजान व्यक्तियों ने रात में मार दिया । इस सम्बन्ध में आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है । इसी के सम्बन्ध में मैं ने एक क्वेश्चन भी किया था लेकिन उसको आपने स्वीकार नहीं किया । आज की स्थिति में बिहार राज्य के सारे वैधानिक अधिकार इस संसद में निहित हैं । वहां की जनता की कोई बात भी अगर रखनी हो तो वह इस संसद में ही रखी जा सकती है । अगर जहां पर भी आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो फिर और क्या चारा रह जाता है ? मैं समझता हूं जो ला बनाने के अधिकार दिये जा रहे हैं उससे भी कोई लाभ नहीं होगा । वहां की आम जनता के लाभ की जो बातें हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए । हमने देखा है पुराने जमाने में भी वहां पर राष्ट्रपति का शासन बिल्कुल फेल्यार रहा है । वह ट्रान्सफर और पोस्टिंग का राज्य रहा है जिसमें आम जनता की कोई सुनवाई नहीं थी और न ही उनके फायदे और हित की कोई बात हुई । उसी ढंग से यह शासन भी चल रहा है । 8 तारीख को गवर्नर महोदय ने एलान किया था और फिर उनकी ओर से चीफ सेक्रेटरी ने एलान किया पोस्टिंग और ट्रान्सफर उस प्रकार नहीं किये जायेंगे लेकिन जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार से बड़े बड़े अफसरों ने छोटे छोटे अफसरों के दबादले मनमाने ढंग से किये, चाहे तो किसी को हटाने के लिए या फिर किसी को हटा कर अपने मन के आदमियों को रखने के लिए । इस प्रकार के ट्रान्सफर और पोस्टिंग शुरू हो गई हैं । जो सलाहकार हैं उन पर कोई हमें आपत्ति नहीं है, उन्होंने अच्छे अफसरों की तरह से बिहार में काम किया है लेकिन वहां पर तो जो भी अफसर जहां पर है, चाहे बीडी०ओ० या कोई दूसरा वह अपना शासन कर रहा है और वहां पर नहीं के बराबर ही राष्ट्रपति शासन चल रहा है । गवर्नर के बारे में कहा गया है कि वे काम नहीं करते हैं लेकिन हमने जो दूसरे गवर्नर के बारे में सुना है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वहां पर जैसा काम करेंगे वैसा ही कहा जा सकेगा । लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ब्यूरोक्रैसी के बचे हुए अफसरों में से वे एक हैं । उनके जमाने में मेरा ख्याल है प्रजातन्त्र चल हीं पायेगा । अगर आप चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन रहे तो वहां पर ऐसे गवर्नर को भेजिए जिसको जनतन्त्र से प्रेम हो ताकि वह जनतन्त्र को चला सके ।

SHRI GANESH GHOSH (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, we are opposed to the imposition of President's rule in any State in our country and thus depriving the people of their democratic rights. We are also very much strongly opposed to a prolonged imposition of this irresponsible rule in the sense that it is not responsible to the people of the State.

And this is what is demanded now in Bihar, where a group of irresponsible and corrupt legislators are changing sides and their allegiance. It is unfortunate for our country that after the Fourth General Elections this corrupt practice became very much frequent and pronounced in making it very difficult for a stable Government in any State and threatening the very basis of Parliamentary Democracy.

Mr. Chairman, Sir, it has got to be said now, that it is the Congress leaders who introduced this dirty game in our national politics and practised it all through these years. It may not be known to you that in some States the topmost Congress leaders and even the Chief Ministers accorded open receptions to the renegrades with a view to lure others to their Party when it was not at all necessary for them. It is only after the Fourth General Elections that they got a rebuff it boomeranged against them. And when they found that this dirty game does not pay lasting dividends, they began to whimper and cried a halt to it.

It is good that the Home Minister at the Centre descried these defections in this House and made a joke of the defectors as 'Ayarams' and 'Gayarams'. We are given to understand then that this was the latest policy of the Congress with regard to defections.

Mr. Chairman, Sir, but we had our own doubts. Is it not a fact that Congress President in one of the congress meetings some time back, I think it was an AICC meeting held in Hyderabad, bragged that it was their mission to overthrow all non-congress Governments wherever they existed? What about the setting up of minority Governments with congress support, after overthrowing non-congress governments?

Sir, the delay in bringing a legislation for effectively checking defections is also not without purpose and significance.

We do not know if all the avenues have been explored in Bihar to see if one party or a group of parties could form a Government there. If they have been and found wanting then their can be no honest reasons or justifications for not dissolving the State legislature and placing the issues before the people. For not doing this there can be only one reason—to give the congress leaders much more chances to trade in dishonest and corrupt legislators. We demand that the Bihar legislature may be immediatey dissolved and the issue be placed before the people as soon as possible. We know what the congress president did and how he tried to utilise the unfortunate Bihar situation in favour of the Congress Syndicate during the last presidential elections.

सभापति महोदय : सब को समय मिल जायेगा जितने मेरे पास नाम हैं । लेकिन जरा माननीय सदस्य समय कम लें ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : सभापति जी जितना समय मिलेगा उतने में ही बोलूंगा । यों नो बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर संक्षेप में ही काम चलाना है ।

पहली बात तो यह है कि बिहार में जितनी जल्दी पॉपुलर गवर्नमेन्ट बन सके बननी चाहिये, यह सब की मांग है । किन्तु सब से बड़ी शर्त यह है कि अगर बन सके नो । यहां पर मैं दुख के साथ इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि 1967 से ही ऐसा होता रहा है कि डिफेक्शन की वजह से कोई सरकार ढ़ंग से टिक न सकी । पिछली दो सरकारों के बारे में दो ही बानें कहना चाहता हूं । बाबू हरिहर सिंह ने सरकार बनायी और उन के सामने बड़ी कठिनाई यह भी कि आल इंडिया पार्टीज से वह बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उन से प्रादेशिक स्तर पर कोई बात हो नही सकनी थी, और अखिल भारतीय स्तर पर कोई बात होने से रही । और जब वह केवल प्रादेशिक स्तर की पार्टियों से बानें करते थे तब उन्हीं पार्टियों को लेने की कोशिश की और उन के साथ काम किया । मगर जिस दिन उनकी सरकार गिरी उस दिन से बड़ी शर्म की बात है कि दो मिनिस्टर ऐसे निकले जिन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और अपनी फाइल ले कर सरकार के विरुद्ध जा कर के प्रस्ताव में शामिल हो गये सरकार को गिराने

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

में अगर यही करना था तो पांच मिनट पहले दो लाइन का इस्तीफा लिख देते, अपनी फाइल चीफ मिनिस्टर के हाथ में छोड़ जाते ।

दूसरी जब भोला शास्त्री की सरकार बनी तो उन्होंने दलों से ज्यादा व्यक्तियों को खींचना जरूरी समझा और जिन नेताओं को उन्होंने खींचा और मंत्री बनाया उन के साथ यह बात रही कि उन्हीं मंत्रियों के दलों ने उनको डिनाउन्स किया । मगर धीरे-धीरे और लोग भी जब आने लगे, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है तो फिर से उन को भी मंजूर कर लिया गया । तो यह एक बहुत बड़ा अन्तर रहा । शास्त्री जी के साथ कठिनाई यह थी कि 1967 में जो सरकार बनी थी उस समय जनसंघ और कम्युनिस्ट दोनों नये-नये थे, एक दूसरे के सिद्धान्त से परिचित थे, मगर तौर-तरीके से परिचित नहीं थे । इसलिये नौ महीने तक काम किया और 6, 7 महीने में दोनों एक दूसरे को निकालने की फेर में रहे । फिर एक दूसरे के खिलाफ चार्जेज लगाये गये । फिर जब संविद सरकार बनी भोला शास्त्री के मुख्य मंत्रित्व में तो फिर गले मिल गये क्योंकि कुर्सी का मोह था । मगर उस के बाद टिक न सके । अब यह हुआ कि तुम रहोगे तो मैं नहीं रहूंगा और मैं रहूंगा तो तुम नहीं । नतीजा यह हुआ कि न वह बात कर सकते थे कम्युनिस्ट की, न जनसंघ की । थोड़े से लोगों को ले कर उन को चलाना था । और ऐसी हालत में उन्होंने जो किया उस का फल पाया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता । ऐसी परिस्थिति में अगर आप समझते हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी तरह से कोई पोपुलर सरकार बन सके, कांग्रेस की बने या गैर-कांग्रेसी बने, वह बनायी जाय । इस की परवाह नहीं है कि किस की बने, लेकिन अगर बन सके तो जरूर बननी चाहिये । मगर साथ-साथ दूसरा पक्ष भी देखना है कि अगर न बन सके तो जो आप प्रेसीडेंट रूल चलाते हैं उस में जो बुराइयां हैं उन की और आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि आप ने दो एडवाइजर्स भेजे हैं । जहां कि अभी तक 30, 35 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और किसी भी जमाने में 10, 12 थे कम नहीं थे, जब कि 1947 में चार मंत्री थे तथा उपमंत्री आदि ले कर 12, 14 उस समय भी थे, उतने लोगों का काम आप दो आदमियों के ऊपर रखे हुए हैं । यह सम्भव नहीं है कि वह इतना काम कर सकें । अगर दफ्तर में बैठ कर फ़ाइल देखते हैं तो न जनता से मिल सकते है और न अपने अफसरों का काम देख सकते हैं कि कहां क्या खराबी है और न अपनी आंखों से जहां काम बनता है या बिगड़ता है, उस को देख सकते हैं । अगर बाहर जाते हैं तो सब फ़ाइलें रुकी रहती हैं । इसलिये एडवाइजर्स की संख्या आप बढ़ाये नहीं तो काम नहीं चलेगा ।

दूसरी चीज यह है कि आप ने दो आदमी भेजें हैं, जो बहुत ही काबिल हैं, मेरी कोई शिकायत नहीं है उन से ।.लेकिन मेरी शिकायत आप के खिलाफ़ है कि एक आदमी की एक टांग दिल्ली में रखी और दूसरी टांग बिहार में । नतीजा यह है कि बिहार के एडवाइजर्स बनने के बाद भी उन को विदेश यात्रा को भेजा गया । तो ऐसी हालत में वह अपने काम पर क्या ध्यान दे सकेंगे । यह गलत बात है ।

एक दूरी चीज यह आती है कि संयोग की बात है कि इस समय बिहार में तीन आई० सी० एस० आफ़िसर्स पोस्टेड हैं और तीनों इन दोनों से सीनियर हैं । नतीजा यह है कि ये दो आदमी उन तीनों पर चढ़ बैठे । अब किस का मन लगता है काम में और किस का नहीं लगता है, और कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, इस का फैसला कौन करे यह जो जलन हो रही है इससे आप का काम

बिगड़ता है । मैं सुझाव यह दूंगा कि या तो आप उन तीनों को बिहार से हटा कर और दूसरे प्रदेशों में भेज दीजिये ताकि वह उन के नीचे न रहें । या फिर परामर्शियों की संख्या बढ़ा दीजिये । इस में आप का कुछ नहीं बिगड़ता है, काम भी बट जायगा और उस से ज्यादा अच्छा काम होगा । मगर यह सलाह है उसी हालत में जब कि किसी तरह से पौपुलर सरकार न बन सके, तब तक के लिये है ।

और एक चीज अभी आप के पास आयेगी संशोधन के रूप में, वह बाबू चन्द्रिका प्रसाद का संशोधन आयेगा । जो समिति आप बनायेंगे बिहार स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेशन आफ़ पावर बिल के अधीन, उस में अधिक से अधिक लोगों को रखा जाय । बिहार से 78 के करीब दोनों सदनों के संसद सदस्य हैं जिन में से आठ तो मंत्री हैं, वह तो पदेन सदस्य रहेंगे उस कमेटी के, रह गये केवल 70 संसद सदस्य । तो मैं चाहता हूं कि 25, 30 सदस्य आप दूसरे प्रदेशों से ले लीजिए । यह पद्धति और प्रदेशों के लिए भी चल सकेगी तो अच्छा होगा ।

समय की कमी के कारण बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस के पहले कि मैं विधेयक पर कुछ कहूं, मंत्री महोदय ने जो बात उठाई कि डिफेक्शन्स की वजह से इन्सेटेबिलिटी आई, उस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यदि उन को तवारीख से कोई मोहब्बत है तो एक बार वह तवारीख पर गौर करें कि डिफेक्शन्स का सिलसिला किस ने शुरू किया । आप जानते हैं कि पट्टम थान पिल्ले को पोलिटिकल पाइरेसी का शिकार किस ने बनाया ? कांग्रेस ने बनाया । हमारे रहनुमा अशोक मेहता थे । उन को कौन ले गया हम लोगों की तरफ से ? इस की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है । देश में डिफेक्शन्स का सिलसिला शुरू करने की जिम्मेदारी यदि किसी पर है और यदि किसी प्रदेश में इन्सटेबिलिटी आती है तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है ।

दूसरी बात मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि आजादी के बाद बिहार की उपेक्षा की गई है । मैं इस बात को मानता हूं कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे और थोड़ी देर के लिये आप जो चेअर पर हैं उसी इलाके से आते हैं । लेकिन आप को मानना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है आजादी के बाद, खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में । बिहार पर-कैपिटा इनकम के हिसाब से सब से पीछे है । यह सरकारी आंकड़े बतलाते हैं । कई दफे इस सदन में मंत्री महोदय ने कहा है कि बिहार की पर-कैपिटा इनकम सब से नीचे हैं । साथ ही जो योजना सरकार बना रही है, और जो विकास का काम होना चाहिये, वह भी ओपन माइन्डेड रूप में नहीं किया जा रहा है । मैं इस के दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं ।

बिहार में दौलत है । कई दफे मैंने यह बात रक्खी है और फिर रखना चाहता हूं कि बिहार में दौलत है, बिहार आगे बढ़ सकता है आर्थिक रूप में । बिहार की जनता की आवाज है कि ऐटोमिक प्लान्ट बिहार में बनना चाहिये, लेकिन हालांकि प्रधान मंत्री के हाथ में यह पोर्टफोलियो है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता । इस को इग्नोर किया जाता है । बिहार अब इस को बर्दाशत नहीं करेगा ।

उत्तरी बिहार का जितना इलाका है, वह बाकी बिहार क मुकाबले में और भी अनडेवलेप्ड है, फिर भी जो विकास के काम होने चाहिये वह वहां पर नहीं हो रहे हैं । अशोक पेपर मिल्स है । मैंने कई दफे इस की बात उठाई है, और फिर उठा रहा हूं । उस को असम ले जाने की क्यों जरूरत होती है ? क्या वह बिहार में दरभंगा में नहीं रख सकती । अशोक पेपर मिल्स, जिस का विकास के काम में काफी योगदान हो सकता है, पर सरकार

[श्री शिव चन्द्र झा]

ध्यान नहीं देती और उस को असम ले जाना चाहती है । इसी तरह से और भी समस्यायें, हैं, मैं कहां तक गिनाऊं ? यातायात की समस्या है, रेल की समस्या है, इन तमाम समस्याओं में बिहार को पिछड़ा बनाया गया है पिछले बीस सालों से ।

सोशल और कल्चरल बातों में एक बात की ओर आप का ध्यान खींच कर आप के सामने रखना चाहता हूं । बिहार की आधी आबादी के लगभग, अर्थात् 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की बोली मथिली है। उस को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिये । इस के लिये हम लोगों ने विधेयक पेश किया है । मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि वह कान खोल कर सुन लें । वह मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दें वर्ना बिहार में एक तूफान आयेगा ।

इस विधेयक के मुताल्लिक मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि सरकार जो कंसल्टेटिव कमेटी बनाये उस को वह सिर्फ खिलौना कमेटी न बनाये । उस को सलाहकार कमेटी बनाने के अलावा आप कुछ पावर भी दें । जो भी मुहकमें आप के हैं उनको बांट दें । चार पांच एम० पीज को आप एक महकमा दे दें और टाइम निर्धारित कर दें कि इतने समय में यह काम होना चाहिये । जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन है तब तक वह लोग आप को काम करने में सहयोग देंगे । यदि आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो जब तक राष्ट्रपति शासन रहता है तब तक बहुत काम हो सकता है ।

आखीर में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सब लोगों को मौका मिलना चाहिये सरकार बनाने का । एस०एस०पी० भी कहती है कि उस को मौका मिलना चाहिये । हो सकता है कि वह चले नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन से जनतन्त्र को बहुत खतरा है । जनता के रिप्रेजेन्टेटिव की जो सरकार होती है वह अच्छी होती है । इस लिये एक मौका और देना चाहिये सरकार बनाने का । यदि उन की सरकार नहीं चलती है तो बात दूसरी है । यदि इन दृष्टिकोणों से केन्द्रीय सरकार कदम बढ़ायेगी तो बिहार की उपेक्षा नहीं होगी और जो थोड़े बहुत काम होने चाहियें वह हो सकेंगे, वर्ना सब को यह पता चल जायेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक हथकण्डा हो गया है अपनी तानाशाही को बिहार में कायम करने के लिये । इसी लिये मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि वहां पर उचित परिस्थिति बना कर राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाय और जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज के हाथ में सरकार दी जाय ।

श्री कमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, अभी आरम्भ में ही मंत्री महोदय ने कहा कि जब परिस्थिति अच्छी हो जायेगी तो वह पुनः वहां पर पापुलर गवर्नमेन्ट स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे । उन्होंने जो वक्तव्य अपने प्रस्ताव को पेश करते समय दिया वह एक बड़े आशाजनक भविष्य की ओर इंगित करता है । अतः पूरी आशा है कि वह जितनी जल्दी हो सकेगा उस अच्छे भविष्य को लाने का प्रयत्न करेंगे । नहीं तो जो आई०सी०एस० अफसर वहां रक्खे गये हैं, भले ही वे बड़े मेधावी हों, लेकिन वही पांच करोड़ जनता वाले बिहार राज्य में शासन को चलायेंगे । इस गंगा बाढ़ की अभूतपूर्व विपत्ति के समय में जब हजारों मवेशी और राज्य का एक तिहाई हिस्सा प्रकृत्ति के प्रकोप में है तब फिर वे दो आदमी क्या कर सकते हैं ?

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । जब मैंने प्राइम मिनिस्टिर को लिखा कि बिहार का यह गरीब भाग विपत्ति के मुंह में है तब उन्होंने क्या इशारा किया, यह

मैं आप को थोड़े से शब्दों में पढ़ कर उद्धरण सुनाना चाहता हूं :

"I have sent a token grant of Rs. 30,000 from the National Relief Fund, to the Government of Bihar. If further financial assistance is required, we shall arrange to send a central team to Bihar if the State Government requests us to do so."

वहां की राज्य सरकार क्या कर्त्तव्य-निष्ठ सरकार है, पता नहीं । दरभंगा जिला के अंचल मोहिउद्दीन नगर एवं पटोरी में सात गरीब लोग बाढ़ में डूब कर मर गये, लेकिन वहां नावों की व्यवस्था नहीं की गई है । हजारों मकान गिर गये हैं मुंगेर और पूर्णिया दरभंगा जिला में और सारे गंगा के किनारे के लोग आज हताश हैं । 1948 की भयंकर बाढ़ के बाद इस बाढ़ ने इतनी भारी विपत्ति की सूचना दी है । यदि आप प्रकृति के प्रकोप से असम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बिहार-असम इस नेशनल हाई वे पर जो आघात हुआ है, उसके लिये आप बड़े लैटरल रोड़ भी बनायें । अगर आप ने लैटरल रोड नहीं बनाया तो बड़ी मुश्किल होगी । वहां की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है । आज प्रातः काल उत्तर बिहार के सभी पार्टियों के संसद सदस्य और एम०एल०ए० तथा कुछ और प्रमुख लोगों ने एक मेमोरेन्डम दिया है, जिस की प्रति मैं सदन पटल पर रखना चाहता हूं । साथ ही उस के एक अंश को भी पढ़ना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है :

"Soon after the 1961 census, the Census Commissioner of India initiated studies on the levels of regional development in the country. His finding is that Saran, Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga are among the districts of the country which are at the lowest level of development."

क्या इससे बढ़ कर और कोई दु:ख की बात सारे देश के लिये हो सकती है ?

मैं आप से और आप के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी हालत में बिना प्रजातान्त्रिक सरकार के, बिना पौपुलर गवर्नमेण्ट के बिहार राज्य की यह बीमारी मिटने वाली नहीं है । आप चालीस और बीस संसद् सदस्यों की जो कन्सल्टेटिव कमेटी बना रह हैं, क्या हर्ज है कि बिहार के विधान मंडल के सदस्य हैं, जो वहां के कौंसिल और निलम्बित असेम्बली के सदस्य हैं, उन को भी उसमें स्थान दिया जाये? मैं समझता हूं कि ऐसा आप करें तो अच्छा होगा । मैं यह भी चाहता हूं कि आज जो गंगा बाढ़ की विपत्ति की घड़ी बिहार के लिये आई है उस में आप और भी दक्ष लोगों को वहां भेजें । आज वहां पर दो आई०सी०एस० आफिसर्स दूसरे आफिसर्स के ऊपर बिठला दिये गये हैं और जिन को 15—20 वर्ष का अनुभव है, उन को भी वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हटा कर दूसरी जगहों पर भेज रहे हैं । यह उन के लिये शोभा की बात नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से यह पत्र और मेमोरेंडम सभा पटल पर रख रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप ने आज्ञा दे दी है ?

सभापति महोदय : हां, मैंने अलाऊ कर दिया है ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, आप बिहार की स्थिति को देखे । वहां विधान सभा भंग नहीं हुई है । विधान सभा को स्थगित ही किया गया है । विधायक मौजूद हैं । ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो सुझाव आया है, सदन की स्वीकृति के लिए सुझाव आया है, मैं समझता हूं, अनुचित है । खास कर तब यह अनुचित है जब कि वहां विधान सभा के सदस्य मौजूद हैं । केन्द्रीय सरकार को भी आशा है और बाकी लोगों को भी आशा है कि वहां की विधान सभा काम करने की हालत में हो जाएगी । ऐसी स्थिति में इस मध्यावधि के लिए जब कि वहां विधान सभा स्थगित है, तब तक के लिए जो भी सलाहकार समिति

[श्री भोगेन्द्र झा]

या जो कुछ भी आप बनाते हैं, उस में विधान सभा का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये, उस के सदस्यों को उस में रखा जाना चाहिये। उन का ज्यादा जीवित सम्पर्क जनता के साथ होता है ।

एक यह भी सुझाव आया है कि लोक सभा के जो सदस्य हैं वे बिहार से और राज्य सभा में भी जो बिहार के सदस्य हैं, उन सब को उस में लिया जाना चाहिए । इस में भी कोई एतराज की बात नहीं है । मैं जानता हूं कि इससे शासक दल को ज्यादा फायदा होगा । लेकिन फिर भी इस पर संजीदगी के साथ विचार होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इन दोनों सुझावों पर गृह मंत्री विचार करें । अभी भी सम्भव हो तो सुधार लाने की वह कोशिश करें । इस का कारण यह है कि विधान सभा भंग नहीं हुई है, स्थगित ही हुई है । उस के सदस्यों का सहयोग लेना बेहतर होगा ।

बिहार की एक खास बीमारी की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । ऐसी बात नहीं है कि वहां कुछ व्यक्तियों ने दल बदल किया हो । यह सवाल नहीं है । पिछली बार जब श्री भोला शास्त्री के मुख्य मंत्रित्व में वहां सरकार चल रही थी उस में किसी व्यक्ति के द्वारा दलबदल का सवाल नहीं उठा था। पूरे दल ने दल बदल किया था । बिना सूचना दिये हुए, बिना कुछ बताये हुए जन संघ पूरी तरह से दल बदल कर गया था । पूरे दल का दल बदल कर जाना, पूरे दल का बहक जाना यह एक अनोखी बात है । वहां कांग्रेस और जन संघ के नेताओं में, नेतृवर्ग में समझौता हुआ था कि दोनों की मिलीजुली सरकार बने । यह उन का राजनीतिक समझौता हुआ था । देश की आम हालत को देखते हुए केन्द्रीय नेतृत्व ने शायद उस की इजाजत नहीं दी । पता नहीं जनसंघी कांग्रेसी हो गए थे या कांग्रेसी जन संघी हो गए थे, लेकिन उनके नतृ वर्ग में ऐसा समझौता हुआ था । जब पूरा दल ही बदल जाए, बहक जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी ।

जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, हम यही समझते हैं और इसी को मान कर चल रहे हैं कि वहां जनतंत्रीय शासन की सम्भावना है । जो सब से बड़ा दल है, कांग्रेस दल, वह सरकार बनाने में असफल साबित हो रहा है। उसने राज्यपाल के सामने यह दावा किया था कि उस को 153 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है । फिर अखबारों में आया था कि कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने बताया कि कांग्रेस दल को 165 की हिमायत हासिल है और इस का आश्वासन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को दिया भी था । लेकिन बाद में उन के ही अनुसार उन की संख्या कम होती गई । अब शायद 115 हो गई है । कांग्रेस दल वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है ।

हमारा आग्रह है कि संयुक्त समाजवादी दल को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए । वह कामयाब होगा या नहीं होगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं । लेकिन उस को क्यों न मौका मिले, इस को बिहार के लोग और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं । मेरा आग्रह होगा कि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करे और राज्यपाल को आदेश दे कि इस दल को सरकार बनाने का मौका वह दें । पिछली बार जब वहां महामाया मंत्रिमंडल था और इस बार भी जब भोला शास्त्री की सरकार बनी तो पांच दिन के लिए दलबदल एक ही दल के नेता ने किया जो कि संयुक्त समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं । श्री भोला प्रसाद सिंह पांच दिन के लिए कांग्रेस बैंचिज पर जा कर बैठ गए । मैं समझता हूं कि श्री भोला प्रसाद सिंह अभी भी संयुक्त समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और शायद किसी को उन से जवाब तलब करने की भी हिम्मत नहीं हो सकी है ।

यह हमारी मजबूरी है और दुर्भाग्य है। लेकिन इस के बावजूद मेरा आग्रह है कि संयुक्त समाजवादी दल को बिहार में सरकार बनाने का मौका दिया जाये। हमें आशा है कि वह सरकार चलाने में समर्थ होगा और इस में हमारा पूरा समर्थन होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने पिछले बाइस साल में जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया है, संयुक्त समाजवादी दल उस से तो बेहतर हालत वहां पर पैदा कर सकेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने इस बहस के लिए एक घंटा निर्धारित किया है। अभी चार पांच सदस्य और बोलना चाहते हैं और मंत्री महोदय को भी जवाब देना है। माननीय सदस्य मेहरबानी कर के अपने भाषण को खत्म करें।

श्री भोगेन्द्र झा : पहले इस बहस के लिये दो घंटे रखे गये थे। अब आप कहते हैं कि सिर्फ एक घंटा रखा गया है। मैं अभी खत्म कर दूंगा।

बिहार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त समाजवादी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह सरकार चलेगी और हम बिना शर्त उसका समर्थन भी करेंगे। सिर्फ एक हालत में उस को हमारा समर्थन नहीं मिलेगा—अगर उन्होंने जनसंघ के साथ सांठ-गांठ की और उस को सरकार में शामिल किया तो हम उस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में हमारा कोई अन्ध-विश्वास नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि रांची, हटिया और सुरसंड में जो संगठित कत्ले-आम हुआ—मैं दंगे नहीं कह रहा हूं, मैं संगठित कत्ले-आम की बात कर रहा हूं—जिस में उस समय की सरकार के मंत्रियों का भी हाथ था उस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा दल सरकार में न आए जिस से बिहार में फिर कत्ले-आम हो और हमारा विचार है कि उस दल के बगैर भी बिहार की सरकार चल सकती है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं एक दो फौरी बातें कहना चाहता हूं। आपको ज्ञात होगा कि नेपाल का प्रतिनिधि-मंडल आज कल भारत आया हुआ है। पश्चिमी कोसी नहर की योजना को नेपाल के नाम पर नेपाल के बहाने टाला जा रहा है। मेरी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष भारत सरकार का है। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि चूंकि इस समय नेपाल के साथ बातचीत चल रही है, इस लिए पश्चिमी कोसी नहर के बारे में नेपाल सरकार की किसी भी जायज मांग की पूर्ति की जाये और उस नहर को तुरन्त खुदवाने की व्यवस्था की जाये।

बिहार की राज्यपाल की सरकार ने एक खतरनाक काम यह किया है कि उस ने यह तय किया है कि अशोक पेपर मिल को, जिस में 7 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और जिस में 4½ करोड़ रुपये की विदेशी मशीनें हैं, आसाम भेज दिया जाये। मुझे पता नहीं कि इस निर्णय में किस का हाथ है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : इस कामचलाऊ सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी हालत में उस मिल को बिहार से हटने नहीं दिया जाये। बिहार में कानूनगो रहें या गैर-कानूनगो रहें, धर्मवीर जायें या अधर्मवीर जायें, उस मिल को बिहार से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। श्री शुक्ल यह बात जान लें कि वह शान्ति से उस मिल को बिहार से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए वह इस निर्णय को बदल दें।

बाढ़ से बिहार की बर्बादी हो रही है। माननीय सदस्य, श्री मंडल ने बिहार को दस हजार रुपये दिये जाने का सवाल उठाया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त कर दें ; इस प्रकार किसी और सदस्य को समय नहीं मिल पायेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने दो मिनट और लूंगा ।

यह बात सुन कर शर्म आती है कि प्रधान मंत्री दयालु हो कर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए दस हजार रुपए दे रही हैं । अगर बिहार में कोई चुनी हुई सरकार होती, तो वह प्रधान मंत्री को ये रुपये वापस कर देती । बिहार में सैंकड़ों गांव डूबे हुए हैं और बहुत बर्बादी हुई है । इस स्थिति में बिहार को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता की जरूरत है और कर्ज देने की जरूरत है, वर्ना वहां की अगली खेती भी मारी जायेगी ।

इसके अलावा बाढ़ को रोकने का भी सवाल है । मैं पटना गया था ।

सभापति महोदय : अभी बाढ़ के विषय में बहस होगी । माननीय सदस्य उस समय बाढ़ के बारे में कह लें ।

श्री भोगेन्द्र झा : एक खास बात और कहनी है जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है । अय्यर आयोग की जांच का काम और सबूत वगैरह का काम सब पूरा हो चुका है । रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और उस में निर्णय होने वाला है । हमें आशा है कि निर्णय में जो कसूरवार है वह बात सामने आयेगी । लेकिन ऐसी स्थिति में हमें आशंका है कि बिहार में जो गवर्नर इस वक्त हैं या जो गवर्नर भेजने की साजिश हो रही है, उस के होते हुए कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जो मुजरिम पाए जाएंगे उन को छोड़ दिया जायगा, उन को अदालत में नहीं भेजा जायगा, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा ? मेरा इतना ही निवेदन है कि उस वक्त तक अगर वहां यह गवर्नर का राज रहे तो उस पर मुनासिब कार्यवाही करने के लिये आप तैयार रहें ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर): सभापति जी, सदन के सामने बिहार स्टेट लेजिस्लेचर. डेलीगेशन आफ पावर्स बिल 1969 इस समय विचार के लिए प्रस्तुत है । मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । लेकिन इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक मीटिंग में यह आश्वासन दिया था कि बिहार में जल्दी से जल्दी पापुलर सरकार बनाई जायेगी, सभी लोगों ने जो प्रजातन्त्र पर भरोसा रखते हैं, उन के उस कथन का स्वागत किया है । मैं भी उन की उस बात का स्वागत करता हूं । लेकिन एक बड़े दुःख की बात है कि बिहार ने और हरयाना ने, हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक खास नाम पैदा किया है दलबदलुओं का और मैं समझता हूं कि यह बीमारी हरयाना और बिहार में जो शुरु हुई है, मैं आप को नहीं कहना चाहता हूं आप वहां के सदस्य हैं जो इस समय सभापति आसन पर बैठे हुए हैं लेकिन यह बात कहने की है कि बिहार में जो कुछ हालत हुई है और जो वहां दल बदलू हैं उन को सजा जरूर मिलनी चाहिए और उन को सजा एक ही तरीके से मिल सकती है कि उन को बार-बार चुनाव में भेजा जाय । वह जितनी बार चुनाव में जाते जाएंगे उतनी ही बार वह छंटते चले जाएंगे क्योंकि इस में उन का नुकसान उतना नहीं है जितना जनता का नुकसान है । दल बदलुओं का नुकसान नहीं है । . . . . . (व्यवधान). . . .तो गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह कांग्रेस पार्टी को वहां सरकार बनाने की इजाजत दें क्योंकि यदि वह वहां सरकार बनाने की स्थिति में है तो उसे सरकार बनाना ही चाहिए । इसलिए मेरी यह तजवीज है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को वहां पर इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि सरकार बनाए और अगर सरकार नहीं बना सकते हैं तो दोबारा वह चुनाव में जायें ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं; मैं नहीं समझता हूं कि जनता को इस का नुकसान हो, इसलिए इस विधेयक को पास करते वक्त गृह मंत्री से हम यह आश्वासन और विश्वास चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वहां डेवलपमेंट के जो काम हैं और उन क्षेत्रों के विकास के जो काम हैं उन कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हर प्रकार से जो भी सरकार वहां पर हो चाहे उसे ब्यूरोक्रेसी कह लें या राष्ट्रपति सरकार कह लें, वह इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उन को तकलीफ न रहे और जनता को इस बात का दुख न हो कि वहां पर उन के साथ बेइंसाफी हो रही है। इंसाफ लोगों को मिले, होम मिनिस्ट्री का यह फर्ज है कि सस्ता इन्साफ जनता को मिले और डेवलपमेंट के काम जो हो उन को सहायता दी जाये।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : सभापति जी, जहां तक बिहार में राष्ट्रपति शासन का प्रश्न है मैं उस का विरोध कर रहा हूं। साथ-साथ मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बिहार में एक जनप्रिय सरकार की स्थापना होनी चाहिए। मैं सरकार पर यह इल्जाम लगाना चाहता हूं कि जब कि विरोधी दल में सब से बड़े दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को वहां सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था और उस ने दावा किया था कि हमें अगर मौका दिया जाय तो हम वहां एक स्थायी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया।

जहां तक दल-बदल का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर केन्द्र में दल-बदल को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में इस विषय पर विचार किये जाने के बाद फैसला हुआ कि दल-बदल को रोका जाय और इस के लिये कोई स्थायी रास्ता निकाला जाय। लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के बाद जब कांग्रेस के 118 व्यक्ति चुन कर आये तो इन्होंने उस समिति को स्थगित कर दिया और दल-बदल को रोकने के लिये जो फैसला हुआ था और उस के सम्बन्ध में जो बिल वहां पर आना चाहिये था उसे जान बूझकर रोका गया जिससे कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बन सके। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि डिफैक्शन की जन्मदात्री कांग्रेस है, इस ने स्वयं दल बदल का रास्ता अपनाया और अभी भी उस पर चल रही है। अगर आपने इसकेसम्बन्ध में कोई कानून बनाया होता तो बिहार में स्थायी सरकार बन सकती थी।

जनतन्त्र में आज जनता की जो आस्था होनी चाहिए थी वह टूट रही है। जो सरकार बननी है वह 10 दिन के अन्दर टूट जाती है, दूसरी बनती है, फिर टूट जाती है, इस की जिम्मेदारी किस पर है? कांग्रेस पर है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं या तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन रहेगा।

सभापति महोदय, बिहार के अन्दर पिछले 22 वर्षों में जिस तरह से शासन चला है, उस में वहां के विकास को रोक कर रखा गया है जब कि बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, विकास के सारे साधन वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उस के विकास को रोक कर रखा और आज जब कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है तो अफसरों का राज पूरी तरह से कायम है, जो मनमाने ढंग से उस को चला रहे हैं। मैं इस की कुछ मिसालें आप के सामने रखना चाहता हूं मुंघेर के अन्द बन्दूकें बनाने का एक बहुत पुराना धन्धा है, हजारों कारीगर वहां इस काम में लगे हुए हैं. वहां पर 36 फैक्टरियों की एक सहयोग-समिति है, उस सहयोग समिति को जो कोटा मिलता था, उस के कोटे में कटौती कर के उस के उत्पादन पर रोक लगाई गई है, जिस की वजह से एक हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। इस तरह से बिहार में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को सरकार समाप्त करना चाहती है।

[श्री लखन लाल कपूर]

वहां के हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो धांधली अफसरान ने मचा रखी है, उस की एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं। पटना में जो सरकारी कालोनीज बनी हैं, उन में कम आमदनी वालो को मकान भाड़े पर देने या बिक्री करने की व्यवस्था थी। जैसे कंकरबाग कालोनी है, पाटलीपुत्र कालोनी है लेकिन वहां पर क्या धांधली चल रही है, एक एक आदमी के नाम पर तीन तीन, चार चार फ्लैट अलाट किये गये हैं, जिस में वे खुद नहीं रहते हैं, भाड़े पर उठा देते हैं उन लोगों ने रांची में भी मकान लिए हुए हैं, दूसरी कालोनीज में भी लिये हुए हैं? अफसरान इन मामलों में शामिल हैं, इस धांधली को रोकने के लिये सरकार आज कोई कदम उठाना नहीं चाहती है।

मैं चाहता हूं कि बिहार के अन्दर आज जो हालत है उस को देखते हुए तथा जनता में जनतन्त्र की आस्था लाने के लिये एक सरकार बननी चाहिये तथा वहां पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को दावत दी जानी चाहिये कि वह अपनी सरकार बनाये।

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कितना समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : मैं एक बात यहां पर साफ कर देना चाहता हूं---इस समय बिहार और दूसरी बहुत सी जगहों पर बाढ़ आई हुई है, उस पर डिस्कशन के लिये आप सब लोग समय मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप सब लोग इस को पास हो जाने दें तो उस के लिये काफी समय बच सकता है।

श्री वि० प्र० मंडल लेकिन मुझे तो इस पर भी बोलना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में आज अजीब परिस्थिति है एक तरफ प्रेसीडेंट रूल है और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिजाल्व नहीं हुई है, सस्पेंडेड है। पता नहीं उस को फिर डिजाल्व करने जा रहे हैं या फिर से कोई नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बीच इन्होंने इस बिल को यहाँ हाउस में रखा है, एक तरफ से यह सरकार सब को सस्पेंस में रखना चाहती है– यह कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, 1967 के आम चुनाव, के बाद जो विभिन्न सरकारें वहां पर बनीं उस में किस का क्या दोष था, एस० एस० पी० वालों का क्या दोष था और कांग्रेस वालों का क्या दोष था, मैं उन गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहता हूं। मगर देखा जायेगा तो कोई भी इसमें से पाक नहीं निकलेगा इसलिए

Trust no future however present
Let the dead past, bury its dead
Act, act in the living present
Heart within and God overhead.

बिहार के लिए प्रेसीडेन्ट रूल एक अभिशाप की तरह है। गत मार्च में बिहार में जो प्रेसीडेन्ट रूल हुआ उसमें बिहार के जन जीवन का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं और सरकारी लेविल पर जनता की कोई भी सुनने वाला नही है। अभी बिहार में जैसा फ्लड आया वैसा कभी भी नहीं आया था लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। बिहार लेजिस्लेटिव असेम्बली की पावर्स पार्लमेंट में डेलिगेटेड हैं लेकिन यहां पर बिहार का जब कोई मसला आयेगा तो मुश्किल से एक घंटा दिया जाएगा। बिहार जिसमें 6 करोड़ आदमी रहते है, इस देश की सेकिन्ड लार्जेस्ट स्टेट है, उसकी यदि आप रिप्रेजेन्टेटिव गर्वमेन्ट से वंचित रखेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं इसमें हार्ट-सर्चिंग होनी चाहिये। मिड टर्म एलेक्शन में कांग्रेस वाले 115 जीत कर आये। ऐसा क्यों हुआ, इस पर मैं नहीं जानना चाहता। हो सकता है कि कांग्रेस के जो रिकग्नाइज्ड लीडर्स थे यदि उनको टिकट दिये जाते तो

शायद कुछ वेशी जीतकर आते। लेकिन एक चीज जरूर फेल हो गई। हमारी प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि 95 फीसदी पापुलेशन हमारे साथ लेकिन 95 फीसदी कांस्टीटुएन्सीज में, जहां जहां वे गई थीं, कांग्रेस वाले हार गये।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : बेतिया मोतीहारी में वे गई थीं, वहां कांग्रेस जीती।

श्री वि० प्र० मण्डल : ठीक है, लेकिन 95 फीसदी कांस्टीटुएन्सीज में कांग्रेस हारी। जनता ने यह साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहती है। श्री नित्यानन्द कानूनगो के फेवर में हम नहीं हैं। उन के विषय में कहा गया कि वे शरीर से कमजोर हैं लेकिन गवर्नर के लिए शरीर से मजबूत होना जरूरी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस को मौका दिया जाये। वह 21 वोट से हारी। भोला शास्त्री को मौका दिया गया तो वे बेचारे नोकांफीडेंस के डर से भाग गए। तो बिहार में किसी भी गवर्नर को दोष देना ठीक नहीं होगा। कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं था इसलिये आप ने सस्पैंड किया। पब्लिक लाईफ के इन्ट्रेस्ट में कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं कि हमारे दाहिने जो बैठे हैं, एस० एस० पी० या पी० एस० पी० वाले उनके साथ मिलकर गवर्नमेन्ट बनायें

श्री शिव चन्द्र झा : कांग्रेस के साथ एस० एस० पी० के मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। ये गलत प्रपोजिशन रख रहे हैं।

श्री वि० प्र० मण्डल : जब वी०वी०गिरि के चुनाव में एक साथ वोट दे सकते हैं तब बिहार की जनता को जनप्रिय और जनतांत्रिक शासन देने में और डेमोक्रेसी को बचाने में एक साथ नहीं रह सकते है, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। गवर्नर को या होम मिनिस्टर को दोष देने से काम नहीं चलेगा। कोई भी गवर्नमेन्ट बनायेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं वह टिकने नहीं जा रही है। एक ही आल्टरनेटिव है कि एस०एस०पी० और पी० एस० पी० वालों के साथ मिलकर नेशनल टाईप गवर्नमेन्ट बनायें। जिस तरह प्रेसीडेन्ट के चुनाव में आप दूध और पानी की तरह मिल गये थे उसी तरह से यदि आप लोग मिल जायें और कुछ समय के लिये सरकार बनाइयें, तो सरकार बन सकती है वरना नहीं बन सकती है। मैं सस्पेंशन के फेवर में नहीं हूं। चाहे तो आप गवर्नमेंट बनाये और अगर न हो सके तो डिजाल्व कर दीजिये लेकिन इस प्रकार के सस्पेन्स में रखना जनता के भाग्य का निपटारा न करना, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि डिफेक्शन्स बिहार में हो रहे हैं, यों तो डिफेक्शन एक दूसरा मसला भी बन गया है, पहले डिफेक्शन राज्य में हुआ और अब डिफेक्शन बहुत बड़ी-बड़ी जगह पर राष्ट्रपति भवन में भी होता है। इसलिए सब तरफ डिफेक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बिहार में सरकार बनायी जाये, बेकार किसी को दोष न दें सब एक साथ मिलकर सरकार बनायें। पब्लिक का शासन कम से कम 1972 के लिये स्थापित किया जाये और वहां के लोग मिल कर जनप्रिय सरकार बनायें। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : सभापति जी, हमारे प्रदेश बिहार में राष्ट्रपति शासन जो इंटरड्यूस हुआ उसके पीछे औचित्य यह है कि विरोधी दलों में जो एकता होनी चाहिये वह नहीं है। जो पहले संविद सरकार बनी और उसने जो इतिहास क्रिएट किया प्रदेश में अव्यवस्था का उस की वजह से कानून की व्यवस्था एक तरह से समाप्त हो गई। इस तरह शासन संविद सरकार लायी और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस की वजह से संविद सरकार न चल सकी। फिर दूसरी सोशलिस्ट सरकार आयी, उसका भी

[श्री सीताराम केसरी]

आचरण होना चाहिए था वह नहीं रहा। जिसकी वजह से वह सोशलिस्ट सरकार भी जाती रही, और नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार को फैसला करना पड़ा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। जनता ने 1967 में जो फैसला दिय था, विरोधी दल को मौका दिया था, कि वह शासन करके जनता के हित में, जनता की सेवा और सुख समृद्धि में योगदान देते उस मौके का उन्होंने दुरुपयोग किया और पद लिप्सा में बुरी तरह से लिप्त हो गये, उनके सामने भी स्वार्थ आ गया और अपने प्रदेश को उन्होंने कोई सेवा नहीं की जिस की वजह से महामाया बाबू की सरकार गिरी। महामाया बाबू ने जो कमीशन बैठाया उन्हीं महामाया बाबू को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामगढ़ के केस में कंडम कर दिया। तो ऐसे आदमी का निर्णय जनता को कैसे मान्य होता।

समय की कमी के कारण मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

17 hrs.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : सभापति जी, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन हो रहा है उसकी वजह आपको अच्छी तरह से मालूम है। कोई ऐसा दल नहीं है जो मिलकर के राज्य चला सके। जितनी पार्टियां हैं, 15 से ज्यादा पार्टियां हैं, वे मिल नहीं सकतीं और मिले तो पांच, चार, सात आदमी आते हैं, और हर एक आदमी को गद्दी चाहिए। अगर मिनिस्टरी न मिले तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन ही उचित था। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

बिहार में इस समय बहुत बड़ी धांधली चल रही है, करप्शन बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आये कि ऊपर के अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार बहुत जोरों से बढ़ गया है। इस का भी यह ख्याल करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अच्छे अधिकारी को भेजा जाये जो काम को सम्हाल सके। ऐसे आदमी को वहां भेजने की जरूरत है। अभी जो दो सज्जन हैं उनके बस का नहीं है कि इतने बड़े काम को सम्हाल सकें इसलिए कुछ और साथी उनको देने चाहिए।

जो सलाहकार कमेटी बने उसमें भी ज्यादे आदमी रखे जायें और बिहार के जो एम० एल० एस० और ए० एम० सीज० है उनका भी उस कमेटी में शामिल होना मैं आवश्यक समझता हूं।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवादा) : सभापति जी, पिछली बार जो सलाहकार समिति बनी थी और उसने कुछ सुझाव दिये थे। उस पर जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ उसमें माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि इस साल मार्च के महीने में, वहां की ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपैलीटीज के चुनाव करा दिये जायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फिर से जो चनाव हुए और उसमें जो दो सरकारें बनी वह भी नहीं रह सकीं, और अभी भी ऐसी स्थिति वहां नहीं है कि जो सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की हो या एस० एस० पी० की हो वह सरकार स्थिर रह सके। मेरा यह ख्याल है कि कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह सकेगी, जैसा कि मैं वहां की स्थिति को जानता हूं। यह एस० एस० पी० वाले कोई कारण रखकर कि अगर जनसंघ वाले इस सरकार में रहेंगे तो सी० पी० आई० वाले साथ नहीं देंगे और अगर सी० पी० आई० वाले रहेंगे तो जनसंघ वाले साथ नहीं देंगे, जान बूझकर इस प्रकार की स्थिति वहां उत्पन्न कर रहे हैं, हालांकि गलती दोनों में से किसी की नहीं है। अभी इन तमाम पार्टियों में से किसी में इतनी ताकत

नहीं है कि वहां सरकार बना सके। आप जो सलाहकार समिति बना रहे हैं, उसके लिये मेरा सुझाव यह होगा कि आप उनकी सलाह को माने। पिछली बार का हमारा अनुभव यह रहा है कि जो भी सलाह सलाहकार समिति ने दी है, उनमें से 8 प्रतिशत को भी आपने नहीं माना है। अगर आप वैसी ही अवस्था फिर उत्पन्न करना चाहते हैं तो इससे अच्छा यह होगा कि आपके गृह मंत्रालय के जो दो सलाहकार वहां गये है उन्हीं को ही वहां रखिये क्योंकि उनके बजाय जो समिति आप रखना चाहते हैं उससे तो समिति बदनाम ही होगी। इसलिये इस सलाहकार समिति को बनाने का कोई लाभ नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से दो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव के बारे में पिछली बार सरकार ने जो वायदे किये थे मार्च महीने में, उनके फलस्वरूप आपकी सरकार द्वारा या राष्ट्रपति शासन के द्वारा कोई कदम उठाये जायेगें? दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान राज्यपाल है क्या सरकार उनको पन्द्रह दिनों के अन्दर हटायेगी? अगर नहीं हटायेगी तो वहां की स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। इस व्यक्ति ने राज्य की अवस्था इतनी विस्फोटक बना दी है कि उसको पन्द्रह दिन के अन्दर वहां से हटा देना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे सूबे में राष्ट्रपति का शासन हो गया। वहां की जनता पूरी तरह से प्रजातान्त्रिक है, लेकिन इसका कारण यह है कि अभी जो नाम लिये गये है उनमें पन्द्रह पार्टियों के नाम याद आये। एक वोट से लेकर 118 वोट तक पन्द्रह पार्टियों के हाथों में हैं।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : 111।

श्री विभूति मिश्र : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के लिये कंडिसन्स क्रिएट करें। वह यहां इतनी पार्टीज न रखे। इतनी पार्टीज रखने से कोई भी स्थायी सरकार नहीं बन सकती है। यह भी हो सकता है कि अगले आम चुनाव के बाद कहीं पर कोई गवर्नमेन्ट बनाना मुश्किल हो जाये। इसलिये बहुत सी पार्टियां न रखकर सिर्फ तीन पार्टियां रखें। एक राइट, एक लेफ्ट और एक बीच की। इन तीन पार्टियों मे काम चल सकता है।

आज बिहार में बाढ़ आई जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है। सरकार को यहां से उन लोगों की मदद करनी चाहिये और जितनी भी सहायता हो सके बाढ़ पीड़ितों के लिये भेजनी चाहिये। छात्रों को पुस्तकें देनी चाहियें, जिनके घर गिर गये है उनको खाना पीना देना चाहिये, और घर बनाने का सामान देना चाहिये, क्योंकि वहां की जनता बड़े कष्ट में है। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री खुद जाकर वहां की हालत देखें।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : वह 11 तारीख को जा रही हैं।

श्री विभूति मिश्र : बड़ी खुशी की बात है अगर प्रधान मंत्री वहां जा रही हैं। वह वहां के आदमियों को देखेंगी और उनसे बात करेंगी।

इसके अलावा जो सलाहकार समिति बन रही है उसके सदस्यों की तादाद बढ़नी चाहिये। एक और बात बहुत जरूरी है कि एडवाइजर्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 4 कर दी जाय क्योंकि उनका वहां भी काम है और यहां भी काम है। आज दोनों काम नहीं हो पाते हैं। चूंकि दो एडवाइजर्स को सेंटर और दोनों जगह काम करना पड़ता है इसलिये उनकी संख्या बढ़ाई जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : श्री मिश्र को इतना जरूर देखना चाहिये कि जो वह तीन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

तीन पार्टियों की बात कह रहे थे वह तीन पार्टियां तो उनके यहां ही हैं : सिंडिकेट, इंडिकेट और विंडिकेट ।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): I rise to support the Motion. Unfortunately for Bihar, our country has not been able to appreciate democratic values. We are not in a position to form stable democratic governments which would be able to deliver the goods. Many hon. Members spoke last year. When there was the question of the President's rule last year, I said that our country had utterly failed in experiments in coalition Governments and If I had the authority I should extend President's rule for six years. It is not a simple thing. The country has suffered enough by coalition Governments and by the undemocratic functioning of democratic Governments. What is the function of Government? To govern. Ask the people. They are the best judges whether the democratic Governments had delivered the goods. The primary function of the Government is to raise the standard of poverty, not to eliminate poverty. It is all non-sense to talk of eliminating poverty. No progressive country has been able to eliminate it, while some countries have raised the standard of poverty. As I said, people are the best judges to say whether democratic coalition Governments had been able to deliver the goods.

We had democratic Government from 1947. All the lands belonging to the tribals had been transferred to others illegally, in flagrant violation of the Chotanagpur Tenancy Act. This is how Government functions. Whatever Government we have, it must restore the lands to the original owners. If I had time, I could have elaborated that point.

Dr. Chandrasekhar our Minister of Family Planning had given the slogan: '*Do Ya Teen Bus.*' I should like to say that our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi thinking in terms of party planning says: *Do Ya Teen Bus.* She has already taken a step. We must try to reach that goal. I entirely agree with Mr. Bibhuti Mishra's views on having three parties. I would say these parties should be: Congress, Conservative and Communist. That is the only solution if we want to have democracy and deliver the goods to the people. No matter to what political party one belongs, all have forgotten their duty and only indulge in sabre-rattling and mud-slinging and slogan shouting. It is time the public twisted the arms of the legislators so that at least in future they may be careful. They must be made to remember that they had failed the people. It is the duty of the public to twist the arms of the legislators so that they could be brought back to their senses. I should like to ask those legislators who want to have a coalition Government to search their hearts to find out whether they are in a position to form a stable coalition Government in Bihar. I tell you that they cannot under the present circumstances and therefore they should not try unless there is ideological agreement with all the constituents of the coalition Government.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं उनसे साफ पता लगता है कि कितनी कठिन समस्या हमारे सामने बिहार के सम्बन्ध में है । यदि जिन सदस्यों ने भाषण किये हैं उन सबके विचारों को एकत्रित करने की कोशिश की जाए तो पता लग जायेगा कि वहां पर क्यों राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और यह भी माननीय सदस्यों की समझ में ठीक से आ जाएगा कि किन कारणों से हमें यहां पर यह विधेयक लाना पड़ा ताकि जो घोषणा राष्ट्रपति जी द्वारा की गई थी उसे हम दो महीने से भी अधिक समय तक जारी रख सकें। पहले आशा थी कि कुछ ही समय में वहां की राजनीतिक स्थिति सुलझ जायेगी और हम लोग वहां पर एक जनप्रिय सरकार की स्थापना

शीघ्र ही कर पायेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे वहां का मामला और भी जटिल होता गया और मैं समझता हूं कि उस जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कुछ समय तक हमको वहां पर राष्ट्रपति का शासन और जारी रखना पड़ेगा। वहां जितनी पार्टियां हैं उनको एक साथ बैठ कर, मिल कर कुछ इस तरह का व्यवहार करना होगा, कुछ इन्तजाम करना होगा ताकि वहां कोई स्थायी सरकार स्थापित हो सके। मैं नहीं समझता हूं कि यह सम्भावना किसी भी माननीय सदस्य ने व्यक्त की है कि वहां स्थायी सरकार अभी बन सकती है। स्थायी सरकार बनने का जब भी हमें वहां पर मौका दिखाई देगा और माननीय राज्यपाल की इस तरह की सिफारिश हमारे पास आयेगी हम तुरन्त राष्ट्रपति का शासन वहां से अलग करके लोकप्रिय शासन स्थापित करने से जरा भी हिचकेंगे नहीं।

मैं सदन के सामने बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं समझते कि राष्ट्रपति शासन से किसी प्रदेश की स्थानीय समस्याओं का हल ठीक तरह से हो सकता है या वह लोकप्रिय शासन का कोई विकल्प हो सकता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन में जनता को उस तरह की राहत नहीं मिलती है, जोकि लोकप्रिय शासन में मिलती है। इसलिए हम बहुत ही पशोपेश में, बहुत ही मुश्किल से और मन में हिचककर कहीं भी इस तरह का शासन लागू करने का यत्न करते हैं। इससे इस सदन के माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिलता है कि वे एक राज्य की सब स्थानीय समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दे सकें और उस पर उतना समय लगा सकें, जितना कि राज्य विधान सभा के सदस्य लगाते हैं। सरकार में बैठे हुए हम लोगों के लिए भी, जिन पर उस राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी आती है, यह सम्भव नहीं है कि हम उस राज्य की विभिन्न समस्याओं पर ठीक तरह से विचार कर सकें। सब दृष्टियों से यह उचित है कि जिन-जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां उसको समाप्त करके लोकप्रिय शासन की स्थापना की जाये। मैं समझता हूं कि यही बात बिहार के लिए भी लागू होती है।

माननीय सदस्यों ने बाढ़ आदि बहुत सी स्थानीय समस्याओं का उल्लेख किया है। समय के अभाव के कारण मैं इस अवसर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में जो विचार प्रकट किये हैं, जो सुझाव दिये हैं और जो चिन्तायें व्यक्त की हैं, हम उनके बारे में पूर्ण रूप से ध्यान देकर उन्हें हल करने का यत्न करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग यह नहीं चाहते कि पिछले मध्यावधि चुनाव के बाद राज्य में जो विधान सभा बनी है, उसको हम भंग करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद हमें वहां पर फिर मध्यावधि चुनाव करने पड़ेंगे, जो कि, मैं नहीं समझता, कोई चाहता होगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा न हो कि बार-बार वहां के मंत्रिमंडल गिरें, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर फिर विधान सभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता पड़े। इसलिए मैं सब माननीय सदस्यों और सब राजनैतिक दलों से अपील करूंगा कि हम सब इस प्रकार का वातावरण तैयार करें, जिसमें बिहार में जल्दी से जल्दी एक लोक प्रिय सरकार स्थापित हो सके और माननीय सदस्य जिस उद्घोषणा और जिस बिल को स्वीकार करने जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता आगे चल कर न पड़े।

मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों को सोच-विचार कर माननीय सदस्य इस उद्घोषणा और इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस बहस में एक बात कही गई थी कि एक-तिहाई बिहार पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पर न कोई रिलीफ कमेटी बनाई गई है और न ही गवर्नर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देखने के लिए गया है—वह हवाई जहाज से भी देखने के लिए नहीं गया है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा है कि मैं समयाभाव के कारण इन बातों में नहीं जा रहा हूं । वहां पर फ्लड रिलीफ के लिए काफी काम किये गये हैं । यदि वहां के एडवाइजर्ज फ्लड-एफेक्टिड एरियाज का टूर करने के लिए नहीं गये हैं, तो हम यह निर्देश देंगे कि वे जाकर स्थिति को देखें और समुचित इन्तजाम करें ।

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार में विधान सभा भंग नहीं हुई है, वह स्थगित है । विधायक मौजूद हैं । हां, वे तनख्वाह नहीं पाते हैं । ऐसी हालत में परामर्शदात्री समिति में विधायकों का सहयोग क्यों नहीं लिया जाता है ?

राज्यपाल की सरकार ने अशोक पेपर मिल को बिहार से हटाने का निर्णय कर लिया है । क्या मंत्री महोदय इस निर्णय को स्थगित करेंगे, क्योंकि एक काम-चलाऊ सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश देंगे कि चुनी हुई सरकार ही इस बारे में निर्णय करेगी ? इस स्थिति में इस कदम से अशान्ति पैदा होगी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारा जो संविधान है उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन में केवल हमें संसद सदस्यों की ही राय लेने का अधिकार है । हम इस वक्त वहां के विधान मंडल के सदस्यों की राय नहीं ले सकते । पर वहां जो सलाहकार लोग हैं और जो राज्यपाल महोदय हैं उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार है कि उनकी राय लें और उन से बातचीत करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कहिए उनसे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बड़ी खुशी होगी यदि वह उनकी राय वहां लें और उनकी बातें सुनें । पर कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं होगा कि जो सलाहकार समिति संसद की बने उसमें राज्य विधान मंडल के लोग लिये जायें ।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up the Bill. The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up clause by clause consideration.

There are no amendments to clause 2. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: A number of amendments have been given notice of to clause 3. But, since hon. Members are anxious that the discussion on floods should be taken up soon, I would request them not to move their amendments. I will straightway put

it to the vote of the House. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up the discussion on floods.

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : मेरा एक निवेदन है कि वक्फ्स बिल नान-कंट्रोवर्शियल है, उसको ले लिया जाय ।

SHRI M. N. REDDY: (Nizamabad): No more legislation now.

सभापति महोदय : मेम्बर्स अगर नहीं चाहते हैं तो हम किस तरह से ले सकते हैं ?

DR. SURYA PRAKASH PURI (Nawada): It has been decided earlier by the House that after the Bill on Bihar floods will be taken up.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): Sir, the Wakfs Bill is a non-controversial one.

DR. SURYA PRAKASH PURI: Only floods should be taken up.

MR. CHAIRMAN: Since some hon. Members are objecting to the taking up of any legislative work, I cannot help it.

17.25 hrs.

MOTIONS RE. SITUATION CAUSED BY FLOODS AND DROUGHTS

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): May I suggest that we have the discussion up to 6.15?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Are we sitting up to 6.30?

MR. CHAIRMAN: No, we will adjourn at 6.

SHRI S. M. BANERJEE: This House is supreme and sovereign. The blackout can be shifted to 8 o'clock. Let us pass a Resolution here. The hon. Home Minister is here.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ब्लैक-आउट 6 बजे से 11 बजे तक कभी भी हो सकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति जी ब्लैक-आउट 8 बजे से 11 बजे के बीच में है, आप 7 बजे तक बैठ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम साढ़े छः बजे तक बैठें ।

सभापति महोदय : ब्लैक-आउट किसी भी समय हो सकता है, बहुत से मेम्बर्ज दूर रहते हैं, यहां के कमचारी दूर रहते हैं, उनको समय तक घर पहुंचना है, इसलिये समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

SHRI HEM BARUA: (Mangaldai): Sir, I beg to move the following:—

"That this House takes note of the destruction of life and property caused by the annual floods in the various river systems in the country and recommends to the Government that expert committees be constituted to consider the economic and technical feasibility